न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूल वाद सं० 07/2023

UPRN180000982023

रामजानकी बनाम ममता आदि

दिनांक – 31/05/2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता को वाद बिन्दु सं० 4 व 5 पर सुना गया। जिसका निस्तारण निम्नवत् है–

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 4 – वाद बिन्दु सं० 4 इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर निर्मित किया गया था, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, परन्तु प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह साबित होता हो कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। अतः वादी द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन उचित पाया जाता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं० 4 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 5 – वाद बिन्दु सं० 5 इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्यायशुल्क कम है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर निर्मित किया गया था। वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वादी द्वारा विवादित भूमि का मूल्यांकन विक्रय मूल्य के आधार पर किया गया है तथा न्यायशुल्क अधिनियम की अनुसूची के नियमानुसार न्यायशुल्क का भुगतान किया गया है। अतः वादीगण द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क पर्याप्त पाया जाता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं० 5 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

पत्रावली वास्ते वादीगण साक्ष्य दिनांक 03/07/2025 को पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2025.05.31 16:01:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court